वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला,दैनिक जागरण,न्यायाधीश,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 25.10.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण किया सील

वाराणसी। शिवपुर वार्ड के पुरा रघुनाथपुर में विजई की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। वीडीए की ओर से नोटिस देने के साथ ही अवैध निर्माण को सील किया गया। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा की अगुवाई में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

दैनिक जागरण –दि0 25.10.2025

वीडीए ने सील किया अवैध निर्माण

जासं, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शुक्रवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के पुरारघुनाथपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए विजयी अवैध निर्माण कर रहे थे। भवन स्वामी को अवैध निर्माण बंद करते हुए शमन मानचित्र दाखिल करने को कहा गया था लेकिन निर्माण जारी रहा। अवैध निर्माण को सील करने के साथ दोबारा निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी गई है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 25.10.2025

अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी |उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-01 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-शिवपुर, पुरारघुनाथपुर के अंतर्गत विजई द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 150 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में भूतल का निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (ग), व 28 (ग) के अन्तर्गत दिनांक 24/10/2025 को नोटिस की कार्यवाही करते हुए स्थल को सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करेंअन्यथा की स्थिति मेंप्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।